(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 11/2025

पंजीकरण संख्या :– 2025/61

बउनवान

श्री लिछमण राम निवासी वीपीओ जसवंताबाद रियानबाड़ी जिला नागौर (राज.)–341518

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल/अंता जिला बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 20.08.2025

प्रस्तुत प्रथम अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.03.2025 को लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल/अंता को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विधानसभा प्रश्नोत्तरों के तहत परिशिष्ट (ब) बिंदु 4 में धारा 136 के तहत विचाराधीन प्रकरणों से संबंधित 07 बिंदुओं की सूचना चाही गई थी जो निम्नलिखित है:–

1. बिना अधिवक्ता के स्वयं वादी द्वारा लड़ रहे प्रकरणों की संख्या,
2. अधिवक्ता के सहारे लड़ रहे प्रकरणों की संख्या,
3. अधिवक्ता द्वारा ली जाने वाली फीस राशि,
4. अधिवक्ता की फीस का भुगतान जिसके द्वारा किया जाता है उसका विवरण,
5. राजस्व रिकार्ड की गलतियां जिस स्तर पर हुई उसका विवरण,
6. गलती करने वाले को दण्ड नहीं दिया जा रहा है, हां या ना

अपीलार्थी को उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल/अंता के ऑनलाईन पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 21.07.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल/अंता को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन क्रमांक 598–599 दिनांक 22.07.2025 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन क्रमांक 598–599 दिनांक 22.07.2025 से तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:48:20 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहे है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/न्याय/आरटीआई/2025/207 दिनांक 05.08.2025 से जवाब इस न्यायालय में भिजवाते हुए अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय से संबंधित नहीं है जिसकी एक प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई गई। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता

द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/न्याय/आरटीआई/2025/430–431 दि. 12.08.2025 से प्रतिलिपि अपीलार्थी को भिजवाते हुए अवगत करवाया गया कि :–

बिंदु सं.	सूचना
1.	धारा 136 के विचाराधीन प्रकरणों में बिना अधिवक्ता के स्वयं वादी द्वारा दायर प्रकरणों की संख्या–01
2.	धारा 136 के विचाराधीन प्रकरणों में बिना अधिवक्ता के सहारे वादी द्वारा दायर प्रकरणों की संख्या–124
3.	न्यायालय द्वारा अधिवक्ताओं की फीस का निर्धारण नहीं किया जाता है।
4.	फीस का भुगतान वादीगण/प्रतिवादीगण तथा संबंधित अधिवक्ता का विषय है।
5.	प्रत्येक प्रकरण की पृथक–पृथक पत्रावली होती है। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणो की प्रतिलिपियां संबंधित वादीगण/प्रतिवादीगण अथवा उनके अधिवक्ता को हीं उपलब्ध करवाई जा सकती है।
6.	भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अंतर्गत भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकता है तथा निर्णय की अपील नियमानुसार की जा सकती है।
7.	न्यायालय के निर्णय की अपील नियमानुसार की जा सकती है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल/अंता से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में बिंदुवार सूचित कर दिया गया है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल/अंता को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **20.08.2025** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:48:20 IST
Reason: SelfAttested